

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(8)राज/वाद/10 पार्ट-1


जयपुर, दिनांक: 15/03/2024

--:आदेश:-

राजकीय वादकरण नीति-2018 के बिन्दु संख्या 11.7 में स्थापित प्रावधानुसार विधि एवं विधिक कार्य (राजकीय वादकरण) विभाग में गठित विशेष प्रकोष्ठ हेतु संविदा के आधार पर सृजित विधि परामर्शी के पद पर सेवानिवृत्त जिला जज से एकमुश्त राशि रूपये 60,000/- मासिक दर पर संविदा सेवार्यें लिये जाने की समयावधि में 01.03.2024 से 28.02.2025 तक वृद्धि किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

उपापन हेतु RTPP अधिनियम नियमों की पालना की जाए। उक्त स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी.संख्या 102400343 दिनांक 06.03.2024 के द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट मद संख्या 2014-114-(01)-41 संविदा सेवार्यें (गैर आयोजना) से वहन किया जायेगा।


(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
4. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, वादकरण।
6. सहायक लेखाधिकारी-1, वादकरण।
7. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।


शासन सचिव, विधि